



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

कार्यालय : उप आवासन आयुक्त (वृत्त-प्रथम)

सैक्टर-5, प्रतापनगर सांगानेर, जयपुर में

“जयपुर चौपाटी”

सैक्टर-23, हल्दीघाटी मार्ग, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर में
दुकानों में संचालन एवं प्रबन्धन हेतु

आवेदक के स्वयं का
पासपोर्ट साईज फोटो
(हस्ताक्षरित)

आवेदन-पत्र

1.	आवेदक/आवेदिका का नाम	श्री/श्रीमती		
2.	पिता/पति का नाम	श्री		
3.	जन्मतिथि		
4.	राष्ट्रीयता		
5.	स्वयं की पहचान हेतु वांछित दस्तावेज (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)	पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाईसेन्स/ बिजली/पानी/टेलीफोन बिल/ अन्य फोटोयुक्त मान्य दस्तावेज		
6.	भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र (यू.आई.डी.) नम्बर (यदि हो तो)		
7.	आवेदक का पता (दस्तावेज संलग्न करें) (मण्डल द्वारा इसी पते पर पत्र व्यवहार किया जायेगा) दूरभाष मोबाईल ई-मेल		
8.	आवेदक के बैंक खाते की सूचना/विवरण 1. IFSC Code 3. Saving/Current/NRI	2. खाता संख्या 4. बैंक का नाम एवं शाखा का विवरण		
9.	घोषणा: 1. मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है। 2. मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन प्रपत्र के साथ दिये गये EOI हेतु सामान्य नियम व शर्तें एवं संचालन और रखरखाव हेतु लाईसेन्स की शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ व समझ लिया है और मैं इनका पालन किये जाने के लिये सहमत हूँ। 3. मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय-समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं कराता हूँ तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के दुकान का संचालन और रखरखाव हेतु लाईसेन्स निरस्त करने के लिये स्वतंत्र होगा जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। 4. मेरी मृत्यु होने की दशा में, मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिमानक्रम में नाम निर्देशित करता/करती हूँ:-			
	क्र.सं.	नाम	आयु	सम्बंध
	1			
	2			
	3			

सत्यापित

(नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी)

मुहर के साथ

हस्ताक्षर आवेदक/आवेदिका

नाम

स्थान

दिनांक

तकनीकी-विवरण

1.	दुकान संख्या (जिसके लिये आवेदन किया गया)
2.	दुकान प्रयोजन (प्रयोजनार्थ आरक्षित अनुसार)
3.	आवेदक / आवेदिका का नाम	श्री / श्रीमती
4.	आवेदक का स्थायी पता (दस्तावेज संलग्न करें) (मण्डल द्वारा इसी पते पर पत्र व्यवहार किया जायेगा) दूरभाष मोबाईल ई-मेल
आवेदक का तकनीकी मापदण्ड अनुसार भरा जाने वाला विवरण -		
(1)	आवेदनकर्ता राजस्थान का निवासी होना चाहिए सम्बंधित दस्तावेज	(स्व प्रमाणित प्रति)
(2)	आवेदनकर्ता का वार्षिक कारोबार वर्ष 2017-18 2018-19 2019-20	(स्व प्रमाणित प्रति- आयकर रिटर्न या सी.ए. से ऑडिटेड बैलेंस शीट)
(3)	आवेदनकर्ता का खाद्य लाईसेन्स की स्व-प्रमाणित प्रति	
(4)	आवेदनकर्ता जिस व्यवसाय के लिये आवेदन कर रहा है उसमें 5 वर्ष के अनुभव के लिये सम्बंधित दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति अथवा यदि आवेदनकर्ता केटरिंग व्यवसाय में है तो व्यवसाय से सम्बंधित 5 वर्ष के अनुभव की एवं प्रतिवर्ष औसतन 50 केटरिंग के व्यवसाय से सम्बंधित दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति	
(5)	आवेदनकर्ता जिस व्यवसाय के लिये आवेदन कर रहा है उसके जयपुर में प्रतिष्ठान का पता एवं दस्तावेज की स्व-प्रमाणित कॉपी	
(6)	अमानत राशि की डीडी 1. डीडी संख्या दिनांक राशि	
	2. बैंक का नाम	

सत्यापित

(नोटरी पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी)

मुहर के साथ

हस्ताक्षर आवेदक / आवेदिका

नाम

स्थान

दिनांक